

कतर प्रतर्बिंध और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नरिणय

प्रीलमिस के लयि

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), अंतर्राष्ट्रीय नागरकि उड्डयन संगठन (ICAO)

मेन्स के लयि

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हालयिा नरिणय का कतर और अन्य देशों पर प्रभाव

चरचा में क्यों?

हाल ही में [अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय](#) (International Court of justice-ICJ) ने बहरीन, सऊदी अरब, मसिर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की एक अपील को खारज़ि कर दयिा है, जसिमें चारों देशों द्वारा कतर (Qatar) पर अधरिपति प्रतर्बिंधों की वैधता पर नरिणय देने के [अंतर्राष्ट्रीय नागरकि उड्डयन संगठन](#) (International Civil Aviation Organization- ICAO) के अधिकार को चुनौती दी गई थी ।

प्रमुख बदि

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नागरकि उड्डयन संगठन (ICAO) को इस मामले की सुनवाई करने का पूरा अधिकार है ।
- धयातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के इस नरिणय को कतर और उसके वमिानन उद्योग के लयि काफी बड़ी जीत माना जा रहा है ।

क्या है वविाद?

- उल्लेखनीय है कि इस पूरे वविाद की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई जब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और बहरीन ने 5 जून, 2017 को कतर के साथ अपने सभी प्रकार के आर्थकि और राजनयकि संबंध समाप्त करते हुए समुद्री और हवाई मार्गों पर प्रतर्बिंध लगा दयिे ।
 - साथ ही इन देशों ने कतर के नागरकिों को भी देश को छोड़ने के लयि 14 दिन का समय दयिा गया और उन्होंने अपने नागरकिों पर भी कतर की यात्रा या नविस करने संबंधी प्रतर्बिंध लगा दयिे ।
- उपरोक्त तीन देशों का अनुसरण करते हुए मसिर ने भी कतर के साथ अपने राजनयकि संबंध समाप्त कर दयिे, कति मसिर ने कतर में रह रहे अपने 180,000 नागरकिों पर प्रतर्बिंध नहीं लगाए ।
- धयातव्य है कि कतर केवल सऊदी अरब के साथ ही भू-सीमा साझा करता है और इन प्रतर्बिंधों के बाद इस भू-सीमा को भी बंद कर दयिा, साथ ही कतर के जहाज़ों पर इन देशों के बंदरगाहों में डॉकगि पर भी प्रतर्बिंध लगा दयिा गया ।

प्रतर्बिंधों का कारण

- कतर के साथ अपने राजनयकि और आर्थकि संबंध समाप्त करने वाले चारों देशों ने दावा कयिा कि कतर क्षेत्र वशिष्टि में 'आतंकवाद' समर्थक के रूप में कार्य कर रहा है ।
 - साथ ही इन देशों ने दावा कयिा कि कतर ने इनके आंतरकि मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशशि की है ।
- हालाँकि कतर ने इस्लामी चरमपंथ का समर्थन करने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दयिा है और चारों देशों द्वारा लगाए गए प्रतर्बिंधों की व्यापक आलोचना की ।
 - कतर ने चारों देशों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में कहा कि इसका कोई भी 'वैध औचित्य नहीं' है ।
- इससे पूर्व इन देशों के बीच वर्ष 2014 में तब राजनयकि तनाव पैदा हुआ था, जब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और बहरीन ने यह दावा करते हुए कतर से अपने राजनयकिों को वापस बुला दयिा था कि कतर सशस्त्र समूहों का समर्थन कर रहा है ।
 - हालाँकि उस समय न तो सऊदी अरब ने कतर के साथ अपनी सीमा को बंद कयिा था और न ही कतर के नविसयिों को देश से बाहर कयिा गया था ।

वर्तुतीय प्रभाव

- आँकड़ों के अनुसार, प्रतर्बिधों के समय कतर अधिकांशतः अपने नागरिकों की बुनयिादी ज़रूरतों के लयिे भू और समुद्री आयात पर नरिभर करता है और इसका लगभग 40 प्रतर्शित खाद्य सऊदी अरब के साथ भूमिसीमा के माध्यम से आता था ।
 - हालाँकि इन प्रतर्बिधों के कुछ समय पश्चात् ही तुर्की और ईरान ने कतर को बुनयिादी वस्तुओं की पूरतर्करना शुरू कर दिया था ।
- चारों देशों के इन प्रतर्बिधों का सबसे अधिक प्रभाव कतर की राष्ट्रीय वमिनान कंपनी कतर एयरवेज़ (Qatar Airways) पर देखने को मला, जसिे इन प्रतर्बिधों के बाद कुल 18 क्षेत्रीय शहर के लयिे उड़ानों को रद्द करना पड़ा और कई उड़ानों के मार्ग बदलने पड़े ।

चारों देशों की मांग

- कतर पर प्रतर्बिध अधरिपति करने वाले चारों देशों ने संबधों को बहाल करने के लयिे मांगों की एक 13 सूत्रीय सूची जारी की ।
- इस सूची में अल-जज़ीरा जैसे समाचार वेबसाइटों को बंद करना, मुस्लिम ब्रदरहुड (Muslim Brotherhood) जैसे कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के साथ अपने संबधों को समाप्त करना, शयिा-बहुसंख्यक ईरान के साथ संबधों को कम करना और अपने देश में तैनात तुर्की सैनिकों को हटाना शामिल है ।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में वविाद

- कतर ने, यह आरोप लगाते हुए कनिागरकि उड्डयन पर वर्ष 1944 के कन्वेंशन में दयिे गए उसके अधिकारों का उल्लंघन कयिा गया, इसी कन्वेंशन के तहत बनाए गए अंतरराष्ट्रीय नागरकि उड्डयन संगठन (ICAO) के समकष इस मुद्दे को प्रस्तुत कयिा ।
- अंतरराष्ट्रीय नागरकि उड्डयन संगठन (ICAO) के समकष सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों ने तर्क दयिा कविविाद को नपिटाने का अधिकार केवल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के पास है क्योकियिह मामला सरिफ वमिनान से संबधति नहीं है, बल्कि इसमें आतंकवाद जैसे कई वषिय भी शामिल हैं ।
- हालाँकि वर्ष 2018 में अंतरराष्ट्रीय नागरकि उड्डयन संगठन (ICAO) ने सऊदी और उसके सहयोगी देशों के वरिुद्ध फ़ैसला सुनाते हुए स्पष्ट कयिा कसंगठन को इस मामले पर सुनवाई करने का अधिकार है ।
- जसिके बाद चारों देश इस मामले को ICJ के समकष ले गए और हाल ही में ICJ ने अपना नरिणय सुनाते हुए अंतरराष्ट्रीय नागरकि उड्डयन संगठन (ICAO) के नरिणय को सही ठहराया है ।
- चूँकि अब यह तय हो गया है कइस मामले की सुनवाई का अधिकार अंतरराष्ट्रीय नागरकि उड्डयन संगठन (ICAO) को है, इसलयिे अब अंतरराष्ट्रीय नागरकि उड्डयन संगठन (ICAO) जल्द ही कतर पर लगे प्रतर्बिधों को लेकर अपना नरिणय सुनाएगा ।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/what-the-latest-icj-ruling-means-for-qatar-and-its-airspace>